



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध गांजे के साथ पकड़े गए अभियुक्त को 08 माह के कारावास व 5,000 रु0 अर्थदंड की सजा दिलाई गई।,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत अ0सं0-132/2022, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफ.टी.सी. द्वितीय जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त संजय सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 08 माह के कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
प्रवीण कुमार



विवेचक उ0नि0
वकील अहमद



पैरोकार
जलालपुर
का0 रवि तेवतिया